

F.S.S. Case No. 05/2017-18

state

vs

Gurpreet Singh.

लोक अदालत के समक्ष

परिशिष्ट-1

स्थान का नाम-जमशेदपुर

विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 19 के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जमशेदपुर द्वारा आयोजित

याची/वादी/परिवादी का नाम : Gurpreet Singh

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी का नाम :

F.M Case No. - 5/2017-18 के न्यायालय की कार्यवाही संख्या :

उपस्थिति :

न्यायिक अधिकारी/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम Sri. M.K Sharma, C.J.M, Jamshedpur

सदस्यों का नाम (1) Sri. M.K Sharma, C.J.M, Jamshedpur

(2) Asha Kumar Das (Retired)

अधिनिर्णय

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अबधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है। परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है:

Case compromised in depositing fine amount of Rs. 15,000/- in favour of the authorized person of F.S.S department & opposite party.

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय कि फीस, यदि कोई उनमें से किसी द्वारा संदत की गई है, तो यह वापस की जाएगी।

M.K Sharma 07/02/20

याची/वादी/परिवादी का हस्ताक्षर



P. K. Das 07/02/20
सदस्य

B. Das
Gurpreet Singh.

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी का हस्ताक्षर

न्यायिक अधिकारी

सदस्य

तारीख :

(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मुद्रा)